

डीएलएफ लिमिटेड

प्रतीकृत कार्यालय शोपिंग मॉल तीसरी मंजिल अन्तर्गत मार्ग
संख्या - 1 डीएलएफ सिटी, गुरुग्राम - 122 002, हरियाणा
CIN : L70101HR1963PLC002484
फोन +91-124-4334200
ईमेल www.dlf.in; ई-मेल investor-relations@dlf.in



52वीं वार्षिक आम सभा, ई-मतदान की जानकारी तथा बुक वलोजर की सूचना

- एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 52वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2017 को अप. 12.00 बजे डीएलएफ क्लब 5, ट्रिनिटी टावर के सामने, क्लब ड्राइव, डीएलएफ5, गुरुग्राम-122002, हरियाणा में दिनांक 28 अगस्त, 2017 के नोटिस में वर्णित कार्यकलापों को निष्पादन करने के लिए निर्धारित की गई है।
- 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट (एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, निवेशकों की रिपोर्ट तथा एजीएम की सूचना सहित) का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण / भौतिक रूप से भेजने का कार्य 5 सितम्बर, 2017 को पूर्ण कर लिया गया था। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.dlf.in तथा कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड ("कार्वी") की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 के अनुसरण में कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के संशोधित हुए नियम 20 के साथ सेवी (लिस्टिंग ऑफलिनेशन्स एंड डिस्कलोजर रिकायर्मेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित के अनुपालन में, कंपनी एजीएम में सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने का अधिकार प्रयोग करने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है और कार्यकलाप कार्वी द्वारा उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग प्लॉटकार्न के माध्यम से सम्पादित किए जा सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग और मतदान के लिए सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2017 है। जो व्यक्ति इस कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं वह इस सूचना को जानकारी समझें। इलेक्ट्रॉनिक वोट देने के लिए एक यूजर आईडी और पासवर्ड सभी सदस्यों को भेज दिया गया है।
- रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 25 सितम्बर, 2017 (प्रातः 9.30 बजे) को आरंभ होगी और बृहस्पतिवार, 28 सितम्बर, 2017 (साथ 5.00 बजे) को समाप्त होगी। उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल कार्वी द्वारा निष्फल कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार वोट डालने के बाद, उसे बदलने या दुबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया / निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।
- व्यक्ति जिसने शेयर प्राप्त किए हैं और सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बनें हैं और शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2017 की कट-ऑफ तिथि पर शेयर धारक हैं वे evoting@karvy.com को अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है जो कंपनी तथा कार्वी की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली या मतपत्र के माध्यम से वोट करने की सुविधा एजीएम पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के बाद भी एजीएम में उपरिथित हो सकता है किंतु उसे एजीएम में दुबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।
- जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपोजिटरी द्वारा रखे गए वेनिफिशियल ऑनर के रजिस्टर में रिकॉर्ड है वह रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में वोट डालने का हकदार होगा।
- कंपनी ने नियम और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग की संवीक्षा के लिए श्री अशोक ल्याणी, पूर्णकालिक कार्यरत कंपनी सचिव को संवीक्षक तथा श्री विनोद के, चौधरी, पूर्णकालिक कार्यरत कंपनी सचिव को वैकल्पिक संवीक्षक नियुक्त किया है। उन्होंने इस नियुक्ति के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है।
- किसी भी पूछताछ के लिए, सदस्य <https://evoting.karvy.com> के डाउनलोड सेवशन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए प्रीवेटली आस्कल ब्रेक्चेन (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या कार्वी को 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर फोन या सुन्दरी वरालक्ष्मी, सहायक महाप्रबंधक, (आरआईएस), कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड यूनिट: डीएलएफ लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गाढ़ीबाज़ुली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032, फोन 040-67162222; ई-मेल: einward.ris@karvy.com से संपर्क कर सकते हैं।
- लाभांश के भुगतान हेतु पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रोजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर हक्क बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर 2017 से शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2017 (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे।

कृते डी एल एफ लिमिटेड

(सुभाष सेतिया)
कंपनी सचिव